स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः138, दिनांक 09–05–2024

थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 599/2022 में वांछित रू0 50000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी बिरजू उर्फ विधायक उर्फ बृजेश यादव गिरफ्तार।

दिनाक 09–05–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 599/2022 धारा 394,342 भादवि में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी बिरजू उर्फ विधायक उर्फ बृजेश यादव को जनपद कौशाम्बी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1–बिरजू उर्फ विधायक उर्फ बृजेश यादव पुत्र प्रेमचन्द यादव, निवासी ग्राम चकताली, पोस्ट कचगांव, थाना सफराबाद, जनपद जौनपुर।

बरामदगीः–

1– 01 अदद वोटर आईडी कार्ड।,
2– 02 अदद आधार कार्ड की छायाप्रति (मु0अ0सं0 599/2022 के वादी का)
3– रू0 208/–नगद

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

मोहम्मदपुर, असवां मोड तिराहा, जनपद कौशाम्बी। दिनांक 9–05–2024, समय 16:45 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में उ0नि0 अमित कुमार तिवारी, उ0नि0 विद्यासागर, हे0का0 आलोक कुमार पाण्डेय, हे0का0 विमलेश कुमार, आरक्षी अवनीश कुमार, आरक्षी अमित कुमार सिंह, कमाण्डो मनोज कुमार की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की रही थी।

अभिसूचना संकलन के कम में एसटीएफ मुख्यालय की टीम जनपद कौशाम्बी में भ्रमणशील थी कि मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना कोखराज, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 599/2022 धारा 394,342 भादवि में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी बिरजू उर्फ विधायक उर्फ बृजेश यादव दिल्ली भागने की फिराक में है, यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। मुखबिर इस सूचना पर विश्वास करते हुए, मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुँचकर, आवश्यक घेराबन्दी करते हुए, मुखबिर की निशादेह पर अभियुक्त बिरजू उर्फ विधायक उर्फ बृजेश यादव पुत्र प्रेमचन्द यादव निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त बिरजू उर्फ विधायक उर्फ बृजेश यादव ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 01.10.2022 को ककोडा हाई–वे मार्ग पर जो व्यापारी से लूट की घटना हुई थी। इस लूट की घटना इसने अपने साथी संजू डोकरे, रोशन यादव, अरून गुप्ता और अन्य 03–04 व्यक्तियों के साथ मिलकर कारित की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोखराज मु0अ0सं0 599/2022 पंजीकृत हुआ था जिसमें यह वांछित चल रहा था तथा इसी अभियोग में इसके ऊपर 50,000 रूपये का पुरस्कार घोषित हुआ था तभी से यह फरार चल रहा था। फरारी के दौरान मुम्बई, गुजरात, जौनपुर, बनारस, प्रयागराज व कौशाम्बी में छिपकर कर रह रहा था। आज यह कौशम्बी से दिल्ली जाने की फिराक में था।

अभियुक्त बिरजू उर्फ विधायक उर्फ बृजेश यादव का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत है–

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	599/2022	394,342 भादवि	कोखराज,	कौशम्बी
2	691/18	272 भादवि व 60/63 एक्साइज एक्ट	शिवपुर	वाराणसी

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कोखराज़ जनपद कौशम्बी में पंजीकृत मु0अ0सं0 599/2022 धारा 394,342 भादवि में दाखिल किया गया है जो पूर्व से पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।